राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांकः प.3(3)कार्मिक/क–3/जांच/04 जयपुर, दिनांकः 18 MAY 2006

समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिवगण,
समस्त सम्भागीय आयुक्तगण,
सम्स्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

इस विभाग की प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक ..... द्वारा अकाल राहत कार्यो में भ्रष्ट आचरण एवं अनियमितताओं में लिप्त राजसेवकों के विरूद्ध तत्काल ही अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित कर दण्डित करने के उद्देश्य से राज. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 की शक्तियां समस्त जिला कलक्टर्स को उक्त नियमों के नियम 17 के अंतर्गत राज्यस्तरीय सेवाओं के जिला स्तर तक के अधिकारीगण, अधिनस्थ सेवा/मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी सेवा के राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक विभागीय जांच कार्यवाही सम्पादित कर दण्डादेश प्रसारित करने हेतु प्रदान की गई है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है किः–

1. जिला कलक्टगण को उक्त शक्तियां दिनांक 31.7.06 तक ही प्रदत्त की गई है और इसके उपरांत इन शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
2. जिला कलक्टरगण केवल सूखा एवं अकाल राहत कार्यों में नियोजित अधिकारी/कर्मचारीगण के संदर्भ में ही उक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
3. जिला कलक्टरगण को उक्त प्रदत्त अनुशासनिक शक्तियों में राजसेवकों को निलम्बन करने की शक्ति निहीत नहीं है।
4. राज्य सेवा के सदस्य के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला कलक्टरगण उनके जिले में पदस्थापित केवल जिला स्तर तक के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम होंगे।
5. यदि जिला कलक्टरगण को आरोप की प्रकृति गम्भीर ज्ञात हो तो राजसेवक के निलम्बन/नियम 16 के अंतर्गत वृहद शास्ति के लिये आवश्यक प्रस्ताव नियमानुसार राजसेवक के अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित किये जावें।
6. जिला कलक्टरगण द्वारा उक्त प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रसारित दण्डादेश में यदि अपीलीय प्राधिकारी दण्डादेश में कोई परिवर्तन वांछनीय समझे तो अपीलीय प्राधिकारी निर्णय पारित करने से पूर्व मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्रथमतः प्राप्त करें।
7. जिला कलक्टरगण के पास दिनांक 31.7.2006 के उपरांत जो अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण लम्बित रहेंगे, उन पर जिला कलक्टरगण कार्यवाही करने हेतु सक्षंम नहीं होंगे और वे उनके पास ऐसे लम्बित प्रकरणों को जांच की आगामी कार्यवाही हेतु राजसेवक के संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को हस्तांतरित (ट्रांसफर) कर दिये जावेंगे।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रकिया की पूर्ण रूप से अनुपालना सुनिश्चित करावें।

शासन सचिव